कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2024/ 368 लखनऊःदिनांक 12 फरवरी,2024

शैक्षणिक सत्र 2023–24 के अन्तर्गत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 (छः मासिक) की प्रथम व द्वितीय फेज (2023) की ऑन लाईन च्वॉइस फिलिंग एवं प्रवेश के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

च्वॉइस फिलिंग के सम्बन्ध में–

- च्वॉइस फिलिंग हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने धरोहर धनराशि जमा की होगी।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी–2023 की कांउसिलिंग हेतु जारी समय–सारिणी के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन च्वाइस फिलिंग की जायेगी।
- अभ्यर्थी उन्हीं कालेज/विश्वविद्यालय की च्वाइस भरें, जिसमें वे प्रवेश हेतु इच्छुक है।
- ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न होने के स्थित में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के वरीयता कम से ही उसकी मेरिट कम विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों के सापेक्ष आवंटन किया जायेगा।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठ्यक्रम की कांउसिलिंग (फेज 1 व फेज 2) एक ही चक में सम्पन्न की जायेगी। उक्त कांउसिलिंग में यदि आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी आरक्षित सीटों को शासनादेश दिनांक 01.02.2024 में निहित व्यवस्था के अनुसार सीटों को आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। ऐसी सीटों को Virtual Vacancy (SAC) के तहत प्रदर्शित की जायेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाइस के उपरान्त आवंटित कालेज/पाठ्यकम में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

प्रवेश के सम्बन्ध में–

- पी0सी0पी0एन0डी0टी0–2023 से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया दिनांक 16.02.2024 से 22.02.2024 में मध्य पूर्ण की जायेगी।
- आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेजों/विश्वविद्यालय में पूर्ण की जायेगी।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि प्रशिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में अभ्यर्थी की सीट पर को विचार नहीं किया जायेगाः–
  - नीट–2023 का एडमिट कार्ड

- ➢ नीट–2023 को स्कोर कार्ड
- ➢ हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
- ➢ एम0बी0बी0एस0 समस्त वर्ष के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
- ➢ आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उ0प्र0 सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 01.04.2023 के बाद के निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र ही अनुमन्य होंगे)।
- ➢ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 राज्य का डोमिसाइल / निवास प्रमाण पत्र।
- ➢ पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को सम्बधी अंकपत्र / प्रमाण पत्र एवं बाण्ड अवधि में रहने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

- अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख / प्रमाण–पत्र / सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–527 / 71–2–2016–178 / 2015, दिनांक 23 फरवरी 2016 के क्रम में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क 20,000 / लिया जायेगा।

कृते महानिदेशक